

**राष्ट्रीय आवास बैंक**  
(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)  
नई दिल्ली

**आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001**

**निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.16/सीएमडी/2006 दिनांक 6 जून, 2006**

राष्ट्रीय आवास बैंक जनति में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ य आवश्यक समझता कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987/53) की धाराओं 30ए तथा 31 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 में निम्नानुसार और संशोधन तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं, अर्थात्:

**आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 26 में, व्याख्या (3) के नीचे मद (घ) (i) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,**

"i) वाणिज्यिक अचल सम्पत्तियों (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बु-प्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बु-परिवार आवासीय भवन, बु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भांडागार स्थान, टोटल, भूमि अधिग्रण, विकास एवं निर्माण आदि) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	150
--	-----

एस. श्रीधर  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक